।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: स्थाई आदेश संख्या 2/2009 ::

विभिन्न कारागृहों के निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि दण्डित बंदियों के हिस्ट्री टिकिट में परिहार चार्ट में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं होते है एवं परिहा दिये जाने की कोई एक निश्चित प्रक्रिया भी नहीं है।

1. बंदियों को सजा में किसी भी प्रकार का परिहार प्रदत्त करने हेतु रजिस्टर में आदेश प्रसारित किये जावेंगे। परिहार रजिस्टर में विभिन्न प्रकार के परिहार संलग्न परिशिष्टों में दिये गये प्रारूप अनुसार दर्ज किये जायेंगे।

2. अतः बंदियों को रेमीशन प्रदत्त करने एवं अभिलेख संधारण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

(क). साधारण परिहार

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 5 (ए) (बी) के तहत बंदियों को प्रदत्त किये जाने वाले साधारण परिहार हेतु तिमाही में बंदी द्वारा किये गये कार्य की सूचना संबंधित जेल अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर अधीक्षक जेल परिहार रजिस्टर में संलग्न प्रपत्र–1" के अनुसार आदेश प्रसारित करेंगे। प्रसारित आदेश में उस कार्मिक के हस्ताक्षर भी लिये जावेंगे जिसके पास बंदियों के हिस्ट्री टिकिटों का चार्ज है एवं उस कार्मिक की जिम्मेदारी होगी कि आदेश में प्रदत्त किये गये साधारण परिहार को बंदी के हिस्ट्री टिकिट के परिहार चार्ट में अंकित कर परिहार आदेश के कॉलम 7 एवं हिस्ट्री टिकिट में अपने लघु हस्ताक्षर करेंगे। तिमाही में कारागृह में निरूद्ध रहे सभी दण्डित बंदियों का नाम आदेश में सम्मिलित किया जावेगा चाहे उसे शून्य ही साधारण परिहार दिया जा रहा है।

(ख) विशेष परिहार

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 17 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में बंदी को विशेष सेवा करने पर प्रदत्त किये जाने वाले विशेष परिहार को भी परिहार रजिस्टर में "प्रपत्र–2" के अनुसार आदेश प्रसारित कर प्रदत्त किया जावेगा एवं इस आदेश पर भी उस कार्मिक के हस्ताक्षर लिये जावेंगे जिसके चार्ज में बंदी हिस्ट्री टिकिट रहते है एवं वह कार्मिक उक्त विशेष परिहार को बंदी के हिस्ट्री टिकिट के परिहार चार्ट में अंकित कर आदेश के कॉलम 6 एवं हिस्ट्री टिकिट में अपने लघु हस्ताक्षर करेगा।

इस कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष परिहार को भी संलग्न "प्रपत्र–4" के अनुसार परिहार रजिस्टर में आदेश प्रसारित कर बंदियों को प्रदत्त किया जावेगा एवं उक्त विशेष परिहार को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही बंदी के हिस्ट्री टिकिट के परिहार चार्ट में अंकित कर कार्मिक द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किये जावेंगे।

(4)

(ग) वार्षिक अच्छे आचरण का परिहार

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार बंदी को वार्षिक अच्छे आचरण का परिहार भी परिहार रजिस्टर में संलग्न "प्रपत्र–3" के अनुसार आदेश प्रसारित कर बंदियों को प्रदत्त किया जावेगा एवं इसका अंकन हिस्ट्री टिकिट में करने की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।

(घ) बंदियों को साधारण परिहार प्रदत्त करने हेतु जो सूचना अधीक्षक जेल को उद्योगशाला पर्यवेक्षक एवं कारापाल प्रस्तुत करेंगे उसका प्रपत्र संख्या क्रमश : 5 एवं 6 भी संलग्न भेजा जा रहा है।

3. बंदी के हिस्ट्री टिकिट अपूर्ण होने की स्थिति में परिहार रजिस्टर में तत्कालीन अधीक्षक द्वारा प्रदत्त परिहार के इन्द्राज के आधार वर्तमान पदस्थापित अधिकारी हिस्ट्री टिकिट में पूर्व प्रदत्त परिहार का अंकन करने के लिये सक्षम है।

4. परिहार रजिस्टर 25 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायें।

5. राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 14 के प्रावधानों के क्रम में जब भी बंदी के प्रकरण के की चैक डेट आती है उसे बुलाया जावें एवं उसे दिये गये परिहार के संबंध में समझाया जावें एवं हिस्ट्री टिकिट दिखाया जावें एवं उसके द्वारा हिस्ट्री टिकिट देख लिया गया है इसकी पुष्टि हेतु चैक डेट रजिस्टर में ही एक पृथक कॉलम बनाकर उसके हस्ताक्षर लिये जावें।

6. उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया परिहार रजिस्टर प्रारंभ कर 1.1.2010 से (वर्ष 2009 के अंतिम तिमाही का देय परिहार सहित) परिहारों की स्वीकृति एवं अभिलेख संधारण किया जावें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– सामान्य / स्थाई आदेश / 09 / 46690–790 दिनांक 21-12-09

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान घूघरा अजमेर।
3. प्रभारी, सामान्य / बंदी / स्थापना / निरीक्षण शाखा, मुख्यालय कारागार जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रपत्र–1 रेमीशन पंजिका

निम्नलिखित दण्डित बंदियों को वर्ष .... की प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ तिमाही में उनके नाम के सम्मुख अंकित साधारण परिहार राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 5 के तहत प्रदत्त किया जाता है, जिसका इन्द्राज बंदी के हिस्ट्री टिकिट में किया जावें।

आदेश क्रमांक	क्र.सं.	बंदी प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	कार्य का परिहार	आचरण का परिहार	कुल परिहार बिंदु संख्या 4 एवं 5 का योग	हिस्ट्री टिकिट में परिहार का अंकन करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

ह0 / –

अधीक्षक जेल

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तिमाही में कारागृह में निरुद्ध सभी दण्डित बंदियों का नाम इस आदेश में अंकित कर दिया गया है।

ह0 / –

अधीक्षक जेल

(6)

प्रपत्र—2

उद्योगशाला पर्यवेक्षक द्वारा वर्ष .... की प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ तिमाही में बंदियों द्वारा किये गये उद्योगशाला कार्य का प्रस्तुत विवरण

क्र. सं.	प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	कितने दिन कार्य किया	क्या कार्य किया	कार्य परिहार का पात्र है अथवा नहीं ?
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ह0 / —

उद्योगशाला पर्यवेक्षक

महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार ... राज. जयपुर

प्रपत्र–3

कारापाल द्वारा वर्ष .... की प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ तिमाही में बंदियों द्वारा किये गये जेल अपराध एवं जेलदण्ड की सूचना

क्र. सं.	प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	जेल अपराध का विवरण व दिनांक	दिया गया दण्ड व दिनांक	आचरण परिहार का पात्र है अथवा नहीं ?
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ह0 / –

कारापाल

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार

(8)

प्रपत्र–4

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 17 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्नलिखित बंदियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशेष सेवा हेतु विशेष परिहार स्वीकृत किया जाता है :

आदेश क्रमांक	क्र. सं.	प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	विशेष सेवा	दिया गया विशेष परिहार	हिस्ट्री टिकिट में परिहार का अंकन करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

ह0/–

अधीक्षक जेल

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

9

प्रपत्र–5

मुख्यालय / राज्य सरकार के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... की पालना में निम्नलिखित दण्डित बंदियों को विशेष परिहार स्वीकृत किया जाता है :–

आदेश क्रमांक	क्र. सं.	प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	स्वीकृत विशेष परिहार	हिस्ट्री टिकिट में परिहार का अंकन करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर
	1.	2.	3.	4.	

भवदीय

ह0 / –

अधीक्षक जेल

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार ... जयपुर

10

प्रपत्र–6

राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट III के नियम 11 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित बंदियों को जिन्हें गत वर्ष में किसी भी प्रकार के जेलदण्ड से दण्डित नहीं किया गया है अथवा गत जेलदण्ड के एक वर्ष बाद तक उसे किसी भी जेलदण्ड से दण्डित नहीं किया गया है, को निम्नभांति साधारण परिहार प्रदत्त किया जाता है :–

आदेश क्रमांक	क्र. सं.	प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता का नाम	दिया गया वार्षिक साधारण परिहार	हिस्ट्री टिकिट में परिहार का अंकन करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर
	1.	2.	3.	4.	

भवदीय

ह0/–

अधीक्षक जेल